

FEDDERS ELECTRIC & ENGINEERING LTD.

(Formerly Fedders Lloyd Corporation Ltd.) C-4 ,Phase-II , Noida 201305 Uttar Pradesh (INDIA) Tel.: 91-120-4258918

CIN: L29299UP1957PLC021118

4th November, 2019

To,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,
Mumbai- 400 001,
Maharashtra
BSE Code: 500139
Fax No.: 022-22722039

To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400 051, Maharashtra
NSE Code: FEDDERELEC
Fax No.: 022-2659 8237/38

Sub.: Intimation of Advertisement for Inviting Expression of Interest

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III of the of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), please find enclosed herewith the copy of Invitation for Expression of Interest issued by the Resolution Professional under the Insolvency & Bankruptcy Code, 2016 and the newspaper publication made in this regard.

You are requested to kindly take the above information on record and oblige.

Thanking you,

FOR AND ON BEHALF OF FEDDERS ELECTRIC AND ENGINEERING LIMITED

SHAGUN BAJPAI COMPANY SECRETARY

ICSI MEMBERSHIP NO.: A45982

Issued with the approval of Mr. Ashok Kumar Gulla, Interim Resolution Professional IP Registration No.: IBBI/IPA-003/IP-N00024/2017-2018/10174

(Fedders Electric and Engineering Limited is under Corporate Insolvency Resolution Process of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Its affairs, business and assets are currently being managed by the Resolution Professional, Mr. Ashok Kumar Gulla, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Allahabad vide order dated 14th August, 2019 and confirmed by the Committee of Creditors on 12th September, 2019)

FORM G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

	RELEVANT PARTICULARS						
1.	Name of the corporate debtor	Fedders Electric & Engineering Limited					
2.	Date of incorporation of corporate debtor	16.01.1957					
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	ROC, Kanpur					
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	L29299UP1957PLC021118					
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Reg. Off.: 6 and 6/1 UPSIDC Industrial Area, Sikandrabad, Bulandshahr, UP-203205 Corp. Off.: C-4, Phase-II, Gautam Buddh Nagar, NOIDA, UP-201305					
6.	Insolvency commencement date of the corporate debtor	14.08.2019 (Order uploaded at NCLT website on 16.08.2018)					
7.	Date of invitation of expression of interest	27.10.2019					
8.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	The website of IPE with which Resolution Professional is associated i.e. www.rbsa.in					
9.	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	Alternatively, the information can be sought from Resolution Professional at following Email IDs: ip.fedders@rbsa.in and ashok.gulla@rbsa.in					
10.	Last date for receipt of expression of interest	25.11.2019					
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	28.11.2019					
12.	Last date for submission of objections to provisional list	03.12.2019					
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	06.12.2019					
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans (RFRP) to prospective resolution applicants	on or after 28.11.2019					



15.	plan (RFRP), evaluation matrix,	Request for Resolution Plan (RFRP), Evaluation Matrix and Information Memorandum (IM) shall be available through following Email IDs from Resolution Professional: ip.fedders@rbsa.in and ashok.gulla@rbsa.in The RFRP, Evaluation Matrix and IM shall be obtained after giving undertaking of confidentiality under Section 29(2) of Insolvency and Bankruptcy
16.	Last date for submission of resolution	Code, 2016
	plans	
17.	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	Resolution Plan shall be submitted in a sealed cover at following address:
		Mr Ashok Kumar Gulla, Resolution Professional For Fedders Electric & Engineering Limited C/o RBSA Restructuring Advisors LLP, 2 nd Floor, IAPL House, 23, South Patel Nagar, New Delhi – 110008
18.	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	25.01.2020
19.	Name and registration number of the resolution professional	Ashok Kumar Gulla IBBI/IPA-003/IP-N00024/2017-18/10174
20.		Ashok Kumar Gulla RBSA Restructuring Advisors LLP, 2 nd Floor, IAPL House, 23, South Patel Nagar, New Delhi – 110008 Email: ashok.gulla@rbsa.in
21.	correspondence with the resolution professional	RBSA Restructuring Advisors LLP, 2 nd Floor, IAPL House, 23, South Patel Nagar, New Delhi – 110008 Email: <u>ip.fedders@rbsa.in</u>
22.		Further information can be obtained from Resolution Professional through following Email IDs: ip.fedders@rbsa.in and ashok.gulla@rbsa.in
23.	Date of publication of Form G	27.10.2019

Fedders Electric & Engineering Limited (Corporate Debtor) is engaged in manufacture/business of AC/HVAC Business for supplies to railways and other sectors; Steel Structuring & Fabrication; Wind Mill Tower; Designing, Erection and Commissioning of Power Projects for Transmission and

Distribution; and Overhead Electrical Transmission Lines for railways. It has got seven factories at various locations for aforesaid business activities. Hence, Expression of Interest (EOI) is sought from Prospective Resolution Applicants for (a) business as a whole; (b) AC/HVAC Division separately or jointly with other business division(s); and (c) Division-wise Slump Sale other than AC/HVAC Division either separately or jointly with other division(s) for maximization of value of assets of the corporate debtor. For further details, please visit "CIRP Assignment" section of www.rbsa.in

Kumar G

IBBI / IPA-003/ IP N00024/ 2017-2018/ For Fedders Electric & Engineering Limited

Ashok Kumar Gulla Resolution Professional

IBBI/IPA-003/IP-N00024/2017-18/10174

RBSA Restructuring Advisors LLP, 2nd Floor, IAPL House, 23, South Patel Nagar,

New Delhi - 110008

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

From the Front Page

ICICI Bank profit down 66% y-o-y

RECOVERIES AND upgrades of NPAswere to the tune of ₹1,263 crore, while loans worth ₹1,328 crore were written off. The provision coverage ratio on NPAs, excluding cumulative technical write-offs, increased to 76% in September 2019 from 59% in September 2018. Total advances at the bank grew 13% y-o-y to ₹6.13 lakh crore. Retail assets saw a 22% y-o-y growth, with 50% of the bank's total loan book being made up of retail loans. Excluding non-performing and restructured loans, the growth in domestic corporate loans was about 7%. Total deposits increased by 25% y-oy to ₹6.96 lakh crore and the bank's current account savings account ratio stood at 42.2%, down from 47.1% a year ago.

Average CASA deposits rose 11% y-o-y in Q2FY20. Term deposits increased 35% to ₹ 3.71 lakh crore. Batra said the bank's CASA ratio could come down further. "For us term deposits is going to be the focus," he said. The bank's total capital adequacy ratio (CAR) as per RBI guidelines on Basel III norms was 16.14% and its tier-1 capital adequacy ratio stood at 14.62% on September 30, as compared to minimum regulatory requirements of 11.08%

South beats

THERE ARE some pockets where demand is slower, while it is holding up well in southern markets and in parts of Uttar Pradesh, the management told analysts recently. In compari-

son, slowdown seems to have been arrested in greater part of Maharashtra, excluding Mumbai and Pune. As per Nielsen's India FMCG Growth Snapshot for the quarter ended September 2019, the north India market has seen maximum impact of consumption slowdown, where volume growth remained almost flat at 1% versus strongest growth of 17% recorded in the corresponding quarter a year ago. A higher dependency on rural strata with 37% contribution makes it a relatively more price-sensitive market as compared to other zones, says the market research firm. Also, the larger impact of slowdown has been on small traders which are concentrated in the north zone and have maximum business in that area. The south urban market, which contributes close to three-fourth of the south sales, has seen a positive impact of better price pack mix architecture, helping volumes grow. Sunil Khiani, RMS Lead, Nielsen, South Asia, told FE that the divergence in consumption trends between north and south zones can be largely attributed to the macro-economic indicators in the

two zones. North India's rural economy is largely driven by agriculture. However, fall in farm incomes coupled with slowdown in auto and ancillary units, which are also concentrated in the north, have impacted rural consumers, resulting in shrinkage of their disposable incomes. In comparison, high per capita investments clubbed with low unemployment are favouring sustained growth in the south of India. According to Nielsen's findings, unemployment rate in north has surged by 14%, primarily driven by sectors like the

Website -- energy.rajasthan.gov.in/rred

(A Government of Rajasthan Enterprise)

Description of Work

Feeding of LGO into primary crusher hopper by usin

front end loader and tippers at IBP at Jhamarkotr

mines. Contract value Rs. 254.00 lakh, EMD 5.08 lakh

Fedders Electric & Engineering Limited

Reg. Off.: 6 and 6/1 UPSIDC Industrial Area.

Order uploaded at NCLT website on 16.08.2019

The website of IPE with which Resolution

rofessional is associated i.e. www.rbsa.in

Alternatively, the information can be sought from

Resolution Professional at following Email IDs:

p.fedders@rbsa.in and ashok.gulla@rbsa.in

Request for Resolution Plan (RFRP), Evaluation

Matrix and Information Memorandum (IM) shall

be available through following Email IDs from

Resolution Professional: ip.fedders@rbsa.in and

The RFRP, Evaluation Matrix & IM shall be obtained

Section 29(2) of Insolvency & Bankruptcy Code, 2016

Resolution Plan shall be submitted in a sealed

Mr Ashok Kumar Gulla, Resolution Professiona

2nd Floor, IAPL House, 23, South Patel Nagar,

BBI/IPA-003/IP-N00024/2017-18/10174

2nd Floor, IAPL House, 23, South Patel Nagar, New Delhi-110008, Email: ashok.gulla@rbsa.in

2nd Floor, IAPL House, 23, South Patel Nagar New Delhi-110008, Email: ip.fedders@rbsa.in

Resolution Professional through following Email

IDs: ip.fedders@rbsa.in and ashok.gulla@rbsa.in

For Fedders Electric & Engineering Limited

Ashok Kumar Gulla

Resolution Profession

RBSA Restructuring Advisors LLP,

RBSA Restructuring Advisors LLP,

Further information can be obtained from

For Fedders Electric & Engineering Limited Clo RBSA Restructuring Advisors LLP.

after giving undertaking of confidentiality under

Sikandrabad, Bulandshahr, UP-203205

Corp. Off.: C-4, Phase-II, Gautam Buddh

Notice Inviting e-Tender

FORM G

RELEVANT PARTICULARS

16.01.1957

14.08.2019

27.10.2019

25.11.2019

28.11.2019

03.12.2019

06.12.2019

on or after 28.11.2019

ashok gulla@rbsa.in

cover at following address:

New Delhi - 110008

Ashok Kumar Gulla

Ashok Kumar Gulla

25.01.2020

06.01.2020

ROC, Kanpur

L29299UP1957PLC021118

Nagar, NOIDA, UP-201305

Managing Director

Date- 24.10.2019

SM (Admin

automobile, ancillary and farm and non-farm lower income levels in rural areas.

In contrast, south zone unemployment rate is the lowest across zones. FMCG majors, too, have flagged off concerns over the demand remaining a challenge. For instance, at HUL, rural demand is at a mere half of urban growth, which in good times goes to 1.5 times, and has touched even twice at times. Sanjiv Mehta, chairman, HUL, said, "Rural consumption has been weak for the last few quarters due to macroeconomic factors. Urban consumption has also softened. However, the pace of deceleration is comparatively starker in rural markets." Rural India contributes 36% to overall FMCG spends in India and has historically been growing around 3-5 percentage points faster than urban. To be sure, during the slowdown prompted by the global financial crisis back in 2008, it was the rural demand that led the consumption growth in India. Rise in rural disposable incomes increased affordability and rise of modern trade resulted in higher demand. Also, government-led investments in rural India propelled this growth at that time. However, in recent periods, rural growth is slowing down at a

much faster rate compared to

urban.Rural growth, which grew

on a par with urban growth in

the June quarter, is losing steam,

and is now at 0.9x of urban,

according to analysts at Edel-

weiss Securities. The key reasons

include liquidity crisis hurting

wholesalers and retailers, weak

overall macroeconomic sce-

nario and slower ramp-up of the

PM-Kisan scheme. However, there is some hope of demand revival starting January 2020. "We expect demand to pick up from Q4FY20 once payouts under the direct transfer scheme start reaching a wider base, and rural India — nourised by a normal monsoon — regains its activity and liquidity improves," says Mehta of HUL.

BJP-led govt in Haryana

THE BJP, however, said that it would not take the support of controversial Sirsa MLA Gopal Kanda, who faces two abetment-to-suicide cases. "I want to clarify one thing that the BJP is not going to take the support of Kanda," said Union minister Ravi Shankar Prasad. 'Will sit in Oppn'

THE SHIV Sena is pitching for

equal sharing of power and has demanded a written assurance on it from the BJP. Asked about the possibility of NCP supporting the Sena to form the government, Pawar said, "This is not the option before us. People have asked us to sit in the opposition. We have accepted that."

Dim Diwali for

auto makers "IF COMPARED to the festive sea-

son before 2018, the drop would be bigger. As per data, there is a drop of 8-10% y-o-y in retail volumes this October," Jain told FE. Usually, around 20% of the entire year's sales happen during the 42-day period, of which over 10% happen during Diwali. Shashank Srivastava, executive director, marketing & sales, at Maruti Suzuki, said this year Navratra sales for Maruti were slightly better by about 7-8% against last year, but agreed it is on a low base. Ashish Kale, president at FADA, said the industry was unable to sell the usual over 20% vehicles this season."Navratra and Dussehra was completely dry and post that a slight uptick is seen in cars but not in two-wheelers," he said.

Morn Media Limited CIN: L22121UP1983PLC006177

Regd. Office: Jagran Building, 2, Sarvodaya Nagar, Kanpur-208005 Tel No.: 0512-2216161, E-mail: mornmedialimited@hotmail.com Website: www.mornmedia.com

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 and other applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and amendments thereto, notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of Morn Media Limited is scheduled to be held on Tuesday, November 05, 2019 inter-alia, to consider and approve the financial results for the quarter and half year ended September 30, 2019.

The information contained in this notice is also available on the Company's corporate website www.mornmedia.com and on the website of the stock exchange http://www.msei.in For Morn Media Limited

Place: Kanpur Date : October 26, 2019

(Geetika Awasthi) Company Secretary & Compliance Officer ACS 52353



Statement of Standalone Un-Audited Financial Results for the Quarter and half year ended 30th September, 2019

	Particulars	For the Quarter ended 30.09.2019	For the Quarter ended 30.06.2019	For the Quarter ended 30.09.2018	For the half year ended 30.09.2019	For the half year ended 30.09.2018	For the year ended 31.03.2019
		Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited
1.	Total Income from operation	2142.47	1369.13	1931.64	3511.60	3687.38	7380.04
2.	Net Profit/ (Loss) from ordinary activities before tax (after Extra-ordinary items)	-169.71	78.46	139.26	-91.25	268.70	230.68
3.	Net Profit/ (Loss) for the period after tax, (after Extra-ordinary items)	-169.71	78.46	139.26	-91.25	268.70	230.68
4.	Paid-up equity share capital	1261.94	1261.94	1261.94	1261.94	1261.94	1261.94
5.	Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the balance sheet of previous year)	4404.00	4404.00	4404.00	4404.00	4404.00	4404.00
6.	Earnings per share (before extraordinary items)(not annualised)		0.00	1.10	0.72	2.42	4.00
	(a) Basic (b) Diluted	-1.34 -1.34	0.62	1.10	-0.72 -0.72	2.13 2.13	1.83
7.	The state of the s	2,100					1100
	(a) Basic (b) Diluted	-1.34 -1.34	0.62	1.10	-0.72 -0.72	2.13 2.13	1.83

Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and also on the website of the company (www.triveniglassitd.com).

Place: Prayagraj Date: 26.10.2019

J.K. Agrawal Managing Director

RELIANCE

CAPITAL

Extract from the Consolidated Unaudited Financial Results of Reliance Capital Limited for the quarter and half year ended September 30, 2019.

(₹ in crore, except per shar						
SI. No.	Particulars	Quarter ended 30-Sep-19 Unaudited	Half-year ended 30-Sep-19 Unaudited	Quarter ended 30-Sep-18 Unaudited		
1.	Total Income from Operations	5 064	9 966	5 330		
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Item)	(184)	1 075	371		
3.	Net Profit / (Loss) for the period (after Tax, Exceptional and / or Extraordinary Item) [owners equity]	(51)	1 182	280		
4.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) {owners equity}]	57	1 334	253		
5.	Equity Share Capital	253	253	253		
6.	Other Equity	-	(141)	-		
7.	Earnings Per Share (Basic & Diluted (Face Value of Rs.10/- each)) (not annualised)					
	(i) Basic (₹)	(3.41)	44.81	12.35		
0 0	(ii) Diluted (₹)	(3.42)	44.80	12.34		
2. Extract from the Standalone Unaudited Financial Results of Reliance Capital Limited for the						

(₹ in crore)

SI. No.	Particulars	Quarter ended 30-Sep-19 Unaudited	Half-year ended 30-Sep-19 Unaudited	Quarter ended 30-Sep-18 Unaudited		
1	Total Income	322	835	1 003		
2	Profit / (Loss) before tax	(2 820)	(2 936)	197		
3	Profit / (Loss) after tax	(2 820)	(2 936)	197		
3. T	3. The above is an extract of the detailed format of the quarter and half year ended Financia					

Results filed with the Stock Exchange(s) on October 25, 2019 under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Company's website i.e. www.reliancecapital.co.in and on the website of the Stock Exchange(s) i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

October 25, 2019

Reliance Capital Limited CIN: L65910MH1986PLC165645

Regd Office: Reliance Centre, Ground Floor 19, Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Mumbai 400 001

Tel.: +91 22 4303 1000, Fax: +91 22 4303 6664

guarter and half year ended September 30, 2019.

E-mail: rcl.investor@relianceada.com, Website: www.reliancecapital.co.in

(IR) Ingersoll Rand

INGERSOLL-RAND (INDIA) LIMITED CIN: L05190KA1921PLC036321 Regd Office: 8th Floor, Tower D, IBC Knowledge Park, No. 4/1, Bannerghatta Main Road, Bangalore - 560 029

NOTICE

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of Ingersoll Rand (India) Limited will be held on Tuesday, November 5, 2019,

- 1. To take on record the un-audited financial results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2019; and
- 2. To consider declaration of interim dividend for the financial year ending on March 31, 2020.

For INGERSOLL-RAND (INDIA) LIMITED P. R. SHUBHAKAR

General Manager- Corp. Finance and Company Secretary

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies. associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

'IMPORTANT''

RELIANCE

Infrastructure

NOTICE

(for the attention of Equity Shareholders of the Company)

Transfer of Equity Shares in respect of which dividend has not been encashed or is unclaimed during previous 7 (seven) years to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

This notice is published pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended ('the Rules").

The Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of all shares, In respect of which dividend has not bean paid or claimed for seven consecutive years or more, in the name of the Investor Education and Protection Fund (IEPF)Authority. Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has, so far, transferred to

IEPF Authority, on respective due dates, all shares in respect of which dividend(s) for the financial year 2010-11 or before had remained unpaid or unclaimed for a period of seven consecutive years or more. The Company has vide its letter dated August 4, 2019, communicated individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority during the financial year 2019-20, for taking appropriate action. The Company has uploaded full details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF

Authority on its website at website at www.rinfra.com Shareholders are requested to refer to the web-link www.rinfra.com/web/rinfra/unpaid-unclaimed-shares to verify the details of unencashed dividends and the shares liable to be transferred to IEPF Authority.

Including all benefits accruing on such shares, If any, can be claimed back by them from IEPF Authority after following the procedure prescribed under the Rules. The concerned shareholders, holding shares In physical form and whose shares are liable to be transferred

Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF Authority

to IEPF Authority, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of dematerialisation and transfer of shares to IEPF Authority as per the Rules and upon such Issue, the original certlflcate(s) which stands registered In their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable.

The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on Its website shall be

deemed to be adequate notice in respect of issue of new certificata(s) by the Company for the purpose of

transfer of shares to IEPF Authority pursuant to the Rules. In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by

October 31, 2019, the Company shall, with a view to complying with the requirements set out in the Rules, dematerialise and transfer the shares to IEPF Authority by way of corporate action by the due date as per procedure stipulated in the Rules.

For any queries on the above matter, shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Transfer Agent - Karvy Fintech Private Limited (Unit: Reliance Infrastructure Limited), Karvy Selenium, Tower - B, Plot No.31 & 32, Survey No.116/22, 115/24, 115/25, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032, Tel.: +91 40 6716 1500 Fax: +91 40 6716 1791, Toll Free No.(India): 1800 4258 999, Email: rinfra@karvy.com.

For Reliance Infrastructure Limited

Paresh Rathod Company Secretary

Date : October 26, 2019

Reliance Infrastructure Limited

Place: Mumbai

CIN: L75100MH1929PLC001530

Regd Office: Reliance Centre, Ground Floor

19, Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Mumbai 400 001

Tel.: +91 22 4303 1000, Fax: +91 22 4303 3664

Website: www.rinfra.com, E-mail: rinfra.investor@relianceada.com

of the Investor Education and Protection Fund (IEPF)Authority.

Authority during the financial year 2019-20, for taking appropriate action.

RELIANCE

CAPITAL

NOTICE

(for the attention of Equity Shareholders of the Company)

Transfer of Equity Shares in respect of which dividend has not been encashed or is unclaimed during previous 7 (seven) years to Investor Education and **Protection Fund (IEPF) Authority**

This notice is published pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended ('the Rules'). The Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of all shares, In respect of

which dividend has not bean paid or claimed for seven consecutive years or more, in the name

Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has, so far, transferred to IEPF Authority, on respective due dates, all shares in respect of which dividend(s) for the financial year 2010-11 or before had remained unpaid or unclaimed for a period of seven consecutive years or more. The Company has vide its letter dated August 4, 2019, communicated individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF

The Company has uploaded full details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF Authority on its website at reliancecapital.co.in. Shareholders are requested to refer to the web-link www.reliancecapital.co.in/Details-of-equity-shares-transferred-to-IEPF.aspx to verify the details of unencashed dividends and the shares liable to be transferred to IEPF Authority.

Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF Authority Including all benefits accruing on such shares, If any, can be claimed back by them from IEPF Authority after following the procedure prescribed under the Rules.

The concerned shareholders, holding shares In physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of dematerialisation and transfer of shares to IEPF Authority as per the Rules and upon such Issue, the original certificate(s) which stands registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable.

The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on Its website shall be deemed to be adequate notice in respect of issue of new certificata(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority pursuant to the Rules.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by October 31, 2019, the Company shall, with a view to complying with the requirements set out in the Rules, dematerialise and transfer the shares to IEPF Authority by way of corporate action by the due date as per procedure stipulated in the Rules.

For any queries on the above matter, shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Transfer Agent - Karvy Fintech Private Limited (Unit: Reliance Capital Limited), Karvy Selenium, Tower - B, Plot No.31 & 32, Survey No.116/22, 115/24, 115/25, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032, Tel.: +91 40 6716 1500 Fax: +91 40 6716 1791 Toll Free No.(India): 1800 4258 999, Email: rclinvestor@karvy.com.

For Reliance Capital Limited

Atul Tandon

Company Secretary & Compliance Officer

Date: October 26, 2019 **Reliance Capital Limited**

Place: Mumbai

CIN: L65910MH1986PLC165645

Regd Office: Reliance Centre, Ground Floor 19, Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Mumbai 400 001

Tel.: +91 22 4303 1000, Fax: +91 22 4303 6664

E-mail: rcl.investor@relianceada.com, Website: www.reliancecapital.co.in

epaper. firancia press.com



and 9.08%, respectively.

slowdown blues

RAJASTHAN RENEWABLE ENERGY CORPORATION LIMITED (A Government of Rajasthan Undertaking) E-166, Yudhisthir Marg, C-Scheme, Jaipur CIN No. U40101RJ1995SGC009847 Tel: 0141-2225859, 2229341, 2223966 & 2223965 Fax: 0141-2226028 Email: rrec.rooftop@gmail.com Notice Inviting Tender (TN: 09/2019-20)

Online Tenders are invited for the work of Design, Supply, Installation, Testing Commissioning of Grid Connected Rooftop Solar Photovoltaic Power Project under "Roof Top Solar Power Generation Scheme 2019-20" for aggregate capacity of 45 MW with comprehensive maintenance of 5 years in Rajasthan against UBN No.REC1920GLRC00010. For more details, visi http://eproc.rajsathan.gov.in. http://energy.rajasthan.gov.in/rrecl and

http://sppp.rajasthan.gov.in. The Tender document may be downloaded from 25.10.2019. NIB Code: REC1920A0010 Raj.Samwad/C/19/3395 Rajasthan State Mines & Minerals Limited

4, Meera Marg, Udaipur - 313001, Phone: (0294)2427177/2428763-67, Fax (0294)2428768, 2428739, Email:-contractsco.rsmml@rajasthan.gov.in NIT No. & Date

e-Tender no. Cont. 26/ Dated-23.10.2019 UBN No. MML1920WSOB00156 Tender Fees Rs. 4720/-Other terms & conditions have been given in detailed tender for which please visit us at our website www.rsmm.com or www.sppp.rajasthan.gov.in or eproc.rajasthan.gov.in or contact SM (Contract) on above address

Raj. Samwad/C/3413/2019-2020 **INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST**

(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) Name of the corporate debtor Date of incorporation of Corporate Debtor Authority under which Corporate Debtor is

Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor insolvency commencement date of the Corporate Debtor

Date of invitation of expression of interest Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at: Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at: Last date for receipt of expression of interest. Date of issue of provisional list of Prospective Resolution Applicants Last date for submission of objections to

Date of issue of final list of Prospective Resolution Applicants Date of issue of Information Memorandum. Evaluation Matrix and Request for Resolution Plans to Prospective Resolution Applicants Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information

resolution professional Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approva Name and registration number of the

Resolution Professional Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board Address and email to be used for correspondence with the resolution professional

jointly with other division(s) for maximization of value of assets of the corporate debtor. For further details, please visit "CIRP Assignment" section of www.rbsa.in Date: 27,10,2019



Last date for submission of resolution plans

Manner of submitting resolution plans to

Further Details are available at or with 23. Date of publication of Form G Fedders Electric & Engineering Limited (Corporate Debtor) is engaged in manufacture/business of AC/HVAC Business for supplies to railways and other sectors; Steel Structuring & Fabrication; Wind Mill Tower; Designing, Erection and Commissioning of Power Projects for Transmission and Distribution and Overhead Electrical Transmission Lines for railways. It has got seven factories at various locations for aforesaid business activities. Hence, Expression of Interest (EOI) is sought from Prospective Resolution Applicants for (a) business as a whole; (b) AC/HVAC Division separately or jointly with other business division(s); and (c) Division-wise Slump Sale other than AC/HVAC Division either separately o



भारत-बांग्लादेश मैच पर प्रदूषण का साया

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर (भाषा)।

भारत और बांग्लादेश के बीच तीन नवंबर को फिरोजशाह कोटला में होने वाले टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच से पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ता वायु प्रदूषण चिंता का विषय बन गया है। दिसंबर 2017 में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम को कोटला में टैस्ट मैच के दौरान परेशानी हुई थी जिसके कारण उसके अधिकतर खिलाड़ियों को मास्क पहनने पड़े थे। इसके बावजूद उसके कुछ खिलाड़ी बीमार हो गए थे।

बीसीसीआइ की रोटेशन नीति और मेहमान टीम के यात्रा कार्यक्रम को देखते हुए उसने पहला मैच दिल्ली में आयोजित करने का फैसला किया था। उसे उम्मीद थी कि दिन रात मैच में शहर की खराब हवा मसला नहीं बनेगा। लेकिन दिवाली से दो दिन पहले ही वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) बेहद खराब दिखाया गया है।

एक्यूआइ के मानकों के अनुसार 0-50 अच्छा, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम स्तर का, 201 से 300 खराब, 300 से 400 बेहद खराब और 400 से अधिक गंभीर माना जाता है जिससे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अभी की जानकारी के अनुसार गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय का एक्यूआइ 357 था जो कि बहुत खराब माना जाएगा।

बीसीसीआइ और डीडीसीए के अधिकारियों ने कहा कि खराब वायु प्रदूषण उनके नियंत्रण से बाहर है और वे यही उम्मीद कर सकते हैं कि मैच दिवाली के एक सप्ताह बाद होगा तो तब तक स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। बीसीसीआइ के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि हम दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति से अवगत हैं, लेकिन मैच एक सप्ताह बाद होना है, इसलिए उम्मीद है कि खिलाड़ियों को स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्रीलंका मैच के बाद गलत प्रचार और बुरे अनुभव के बाद सवाल पैदा होता है कि बीसीसीआइ दिल्ली के संदर्भ में अपनी रोटेशन नीति पर क्यों अड़ा रहा। अधिकारी ने कहा कि यात्रा कार्यक्रम इस तरह से तैयार किया गया कि बांग्लादेश की टीम सीधे दिल्ली पहुंचे और कोलकाता से स्वदेश रवाना होगा। हम उनकी

मुकाबले से पहले दिल्ली में स्थिति चिंताजनक



दिसंबर 2017 में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के कई खिलाडियों को कोटला में टैस्ट मैच के दौरान प्रदूषण के कारण मास्क पहनने पड़े थे।

यात्रा सहज बनाना चाहते थे जो उत्तर से शुरू

होकर पश्चिम (नागपुर, राजकोट और इंदौर)

से होते हुए पूर्व (कोलकाता) में खत्म हो।

अगर जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश की टीम को

अपने साथ मास्क रखने की हिदायत दी जा

सकती है। इस बीच अतिरिक्त सालिसिटर

जनरल और उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ

एडवोकेट मनिंदर सिंह दिल्ली एवं जिला

क्रिकेट समिति (डीडीसीए) कार्यकारिणी में

पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर की जगह

सरकार से नामांकित सदस्य की जगह लेंगे।

गंभीर ने हाल में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि

अभी वह सांसद हैं और यह लोढ़ा समिति की

सिफारिशों के खिलाफ है।

नज्मुल हसन ने कहा कि अगर वह संतोषजनक

जवाब नहीं दे पाते हैं तो वे कड़ा कदम उठाएंगे।

स्थानीय टेलीकाम कंपनी 'ग्रामीणफोन' ने 22

अक्तूबर को घोषणा की कि देश का शीर्ष

बीसीबी अध्यक्ष नज्मुल हसन ने शनिवार को

लेकिन इससे बोर्ड को नुकसान

हुआ। हसन ने कहा कि हम

कानूनी कार्रवाई के बारे में

विचार कर रहे हैं। इस

संबंध में हम किसी को

भी नहीं छोड़ सकते। हम

मुआवजे की मांग करेंगे।

हम कंपनी के साथ-साथ

खिलाड़ी से भी मुआवजे

की मांग करेंगे।

हरफनमौला उनका ब्रांड दूत बना है।'

बीसीसीआइ अधिकारी ने कहा

बीसीसीआइ और डीडीसीए के अधिकारियों ने कहा कि खराब वायु प्रदूषण उनके नियंत्रण से बाहर है और वे यही उम्मीद कर सकते हैं कि मैच दिवाली के एक सप्ताह बाद होगा तो तब तक स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी।

अधिकारी ने कहा कि यात्रा कार्यक्रम इस तरह से तैयार किया गया कि बाग्लादेश की टीम सीधे दिल्ली पहुंचे और कोलकाता से स्वदेश रवाना होगा। हम उनकी यात्रा सहज बनाना चाहते थे जो उत्तर से शुरू होकर पश्चिम (नागपुर, राजकोट और इंदौर) से होते हुए पूर्व (कोलकाता) में खत्म हो। अगर जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश की टीम को अपने साथ मास्क रखने की हिदायत दी जा सकती है।

भारत दौरे से हटे तमीम इकबाल इमरूल को टीम में जगह

ढाका, २६ अक्तूबर (भाषा)।

बांग्लादेश के सीनियर सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल ने बच्चे के जन्म के लिए पत्नी के साथ रहने के कारण भारत के आगामी दौरे से हटने का फैसला किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने तीन नवंबर से दिल्ली में शुरू होने वाली तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय शृंखला के लिए इकबाल की जगह बांए हाथ के इमरूल कायेस को शामिल किया। बांग्लादेश को इस दौरे पर दो टैस्ट मैच भी खेलने हैं जो इंदौर में 14 से 18 नवंबर और कोलकाता में 22 से 26 नवंबर तक होंगे।

ईएसपीएन क्रिकइंफो के अनुसार, 'तमीम पसली की चोट से भी उबर रहे हैं, उन्हें टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की टीम में भी शामिल किया गया था लेकिन उन्होंने बीसीबी को सचित किया था कि वह पत्नी के साथ रहने के लिए कोलकाता

टी-20 टीम

साकिब अल हसन (कप्तान), लिटन दास, इमरूल कायेस, सौम्य सरकार, मोहम्मद नईम, मुश्फिकुर रहीम, महमूदुल्लाह, अफीफ हुसैन, मोसादेक हुसैन, अमीनुल इस्लाम, अराफात सन्नी, अल अमीन हुसैन, मुस्तिफजुर रहमान, शफीउल इस्लाम।

में 22 नवंबर से शुरू होने वाले दूसरे टैस्ट से भी बाहर हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने बच्चे के जन्म तक पत्नी के साथ रहने का फैसला किया। मुख्य चयनकर्ता मिन्हाजुल अबेडिन ने कहा कि तमीम ने हमें पहले सुचित किया था कि वह कोलकाता में दूसरे टैस्ट में नहीं खेल पाएंगे। अब वह आगामी हफ्तों के लिए पत्नी के साथ रहेंगे।

भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा—।।, 11वां तल, **O**SB जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली-110001, ईमेल : sbi.50950@sbi.co.in

नियम-8 (1) प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के अन्तर्गत कब्जा सूचना जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का नं. 3) के अधीन **भारतीय स्टेट बैंक,** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ पठित धारा 13(12) के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत **कर्जदार और गारंटर मैसर्स गोपीश** फार्मा लिमिटेड, एच-1455, सैक्टर-एच, डीएसआईआईडीसी, नरेला इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, दिल्ली–110040 और निम्नलिखित निदेशक / गारंटर्स : मैसर्स गोपीश फार्मा लिमिटेड, एच—1465, सैक्टर—एच, डीएसआईआईडीसी, नरेला औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली -।10040 <u>और:</u> रोपड़ रोड, धेरोवाल बैरियर के पास, गाँव बेहरामपुर, तहसील नालागढ़, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश — 174101, 1. श्री रतीश गोयल पुत्र श्री रवि प्रकाश गोयल (निदेशक एवं गारंटर्स) ए—96, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली—110034, <u>और:</u> 1—50, —ब्लॉक, अशोक विहार, दिल्ली—110052, 2. श्री रवि प्रकाश गोयल पुत्र श्री हिर देव गोयल, (गारंटर), ए-96, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 और: 1-50, 1-ब्लॉक, अशोक विहार, दिल्ली-110052, 3. श्रीमती संतोष गोयल पम्नी श्री रवि प्रकाश गोयल, 1-50, 1- ब्लॉक, अशोक विहार, दिल्ली-110052 और: ए-96, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली—110034 (कर्जदार और गारंटर को संयुक्त रूप से कर्जदार कहा गया है) को मांग नोटिस दिनांक 13.02.2019 को जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि रु. 1,48,34,435.73 (रु. ग्यारह करांड अंडतालांस लाख चाजांस हजार चार सा पतांस आर पैसे तिहत्तर मात्र) दिनांक 30.03.2017 तक साथ में उरोक्तानुसार संविदात्मक दर पर ब्याज, आकिस्मक खर्चे, लागत, प्रभार, इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि र

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने निम्नवर्णित **संपत्ति का सांकेतिक कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4)** के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अंतर्गत दिनांक 24.10.2019 को ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतदृद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्तियों के साथ कोई भी लेन देन भारतीय स्टेट बैंक, के प्रभार वास्ते रु. 11,48,34,435.73 (रु. ग्यारह करोड अडतालीस लाख चौजीस हजार चार सौ पैतीस और पैसे तिहत्तर मात्र) दिनांक 30.03.2017 तक साथ में उरोक्तानुसार संविदात्मक दर पर ब्याज, आकिस्मक खर्चे, लागत, प्रभार, इत्यादि सहित के

कर्जदारों का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के संशोधित प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक नीलामी द्वारा, जनता से कोटेशन, निविदा आर्मेत्रण द्वारा, निजी संघि द्वारा प्रतिभृत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना के प्रकाशन की तिथि तक ही आप बैंक द्वारा यहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ अपनी सम्पूर्ण बकाया राशि का भूगतान कर सकते हैं। कृप्या ध्यान रहे कि यदि आप सार्वजनिक सूचना द्वारा जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा निजी संघि द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बेक़ी के लिये बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेंज तथा खर्चें के साथ अपनी सम्पूण बकाया राशि का भुगतान नहीं करते है तो आप प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये

अचल संपत्तियों का विवरण

प्लॉट नं. 1455, ब्लॉक—एच डीएसआईआईडीसी, नेरला, नई दिल्ली में स्थित, यह सम्पत्ति श्री रवि प्रकाश गोयल के नाम पर है। क्षेत्रफल 418.6 वर्ग गज

दिनांक : 24-10-2019, स्थान : नई दिल्ली हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

फॉर्म-जी अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण (दिवाला और शोधन अक्षमता (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमों, 2016 की विनियम 36ए (1) के अधीन)

1.	कारपोरेट ऋणी का नाम	फेड्डर्स इलैफ्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिम्प्टेड
2.	कारपोरंट ऋणी की संख्यापना की तिथि	16.01.1957
3.	प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कारपोरेट ऋणी दर्ज-पंजीकृत है	रविस्ट्रार ऑफ कंपनीत-कानपुर
4.	कारफोरंट ऋषी का निगमित पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U29299UP1957PLC021118
5.	कारपोरंट ऋगों के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का प्रगा	पंजी. कार्याः: 6 च 6/1, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया सिकंदराबाद, बुल-दशहर यूपी-203205 कॉस्पॉस्ट कार्यः: सी- 4, नीएडा, फेल-॥, गीतमबुद्ध नगर, नीएडा, यूपी-201305
6.	कारपोरेट ऋगी के संबंध में इंसॉलवेसी शुरुआती तिथि	14.08.2019 (आदेश 16.08.2019 को एनसीएलटी के वेबसाइट पर अपलोड किया था)
7.	अभिरुचि की अभिज्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	27.10.2019
8.	कोड की धारा 25(2)(एक) के अधीन प्रस्ताय आवेदकों के लिए पात्रता उपलब्ध हैं	आइपीड़ की चेबसाइट अर्थात www.rbsa.in जिसके साथ प्रस्ताव पेशेवर जुड़ा हुआ है।
9.	धारा २५ए के अंतर्गत लागू अपात्रता के निषम उपलब्ध है	जानकारी वैकल्पिक रूप में प्रस्ताव पेशेवर से निम्नलिखा इमेल आइडी ip.fedders@rbsa.in र ashok.gulla@rbsa.in से भी प्राप्त की जा सकती है।
10.	अभिरुपि की अभिरुपवित की प्राप्ति की अंतिम तिथि	25.11.2019
11.	प्रत्यांत्रित प्रम्ताच आवेदकों की अनंतिय सूची जारी करने की तिथि	28.11.2019
12.	अनंतिम सूची पर आपत्तियों के प्रस्तृतिकरण की अंतिम तिथि	03.12.2019
13.	प्रत्यांशित प्रस्ताय आयेदकों की ऑतम सूची जारी करने की तिथि	06.12.2019
14.	प्रत्यशित प्रस्ताव आवेदकों के लिए प्रस्ताव पोजना के लिए अनुरोध तथा सुचना जापन, मूल्यांकन सारणी जारी करने की लिथि	28.11.2019 की या उसके बाद
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन सारणी, सूचना ज्ञापन तथा आगामी जानकारी हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि	प्रस्ताव योजना (आरएफआरपी), मूल्योकन सारणी और सूचन ज्ञापन (अप्रएम) प्रस्ताव पेसेवर से निम्नीलीका इसेल आइडीलः ip.fedders@rbsa.in व ashok.gulla@rbsa.in के माध्यम से डपलब्द करा जाएंगे। आरएफआरपी, मूल्योकन सारणी और आद्यूपम दिवाल और सोधन अक्षमना कीड, 2016 की बारा 29(2) के अधी- गोपनीयता का घोषणा पत्र देने के बाद प्राप्त किए जा सकते है
16.	प्रस्ताव योजना प्रस्तुत करने की अंतिय तिथि	06.01.2020
17.	प्रस्ताव पेशेवर को प्रस्ताव पीजना प्रस्तुत करने का त्तरीका	प्रस्ताय योजना निम्नलिक्षित यते पर सीलबंद लिक्क्ये में प्रस्तु किए ना सकते हैं: श्री आशोक कुमार गुग्रा, प्रस्ताय पेशेवर, कृष्टे केद्दर्श इलैक्ट्रिक एंट इंजीनियरिंग लिपिटेड, मार्क्त आरबीएस रीस्ट्रक्वरिंग एडचाइजर्स एलएलपी, दूसरा तल, आइएबीएस हाकस, 23, साडथ पटेल नगर, नई दिल्ली-110008
18.	अनुमोदन हेतु निर्णापक प्राधिकरम को प्रस्ताय योजना को प्रस्तुति हेतु अनुमानित तिथि	25.01.2020
19.	प्रस्ताव पेत्तेवर का नाम तथा पंत्रीकरण सं,	अश्रोक कुमार गुख IBBI/IPA-003/IP-N00024/2017-18/10174
20,	प्रस्ताय पेशेयर का नाग, पता य इ-मेल गैसा कि चोडे के साथ पेनीकृत है।	अशोक कुमार गुळ, आस्वीएसए रीस्ट्रक्वरिंग एडवाइजर एलएलवे, दूसरा तल, आइएवीएल डाउस, 23, साडच पटेल नगर नई रिल्ली-110008 इ-मेल: ashok.gulla@rbsa.in
21.	प्रस्ताय पेशेयर से पश्चचार के लिए प्रयोग की जाने	आरबीएसए रीस्ट्रक्चरिंग एडवाइक्सं एलएलपी, दूसरा तल

मध्यम से प्राप्त की जा सकती है। फॉर्म जी के प्रकाशन की तिथि 27.10.2019 हेड्डर्स इलैक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (कारपोरेट ऋगी) रेलवे को आपूर्ति के लिए एसी∕एववीएसी विजनेस के तर्माणः विजनेस और अन्य क्षेत्र; स्टील स्ट्रक्रचरिंग एंड फेब्रिकेशन; वाइंड मिल टॉवल; ट्रांसमिशन और डिस्ट्रब्यूशन के लिए पॉवर प्रीजेक्ट्स की डिजाइनिंग, इरैक्सन और उसे चाल करना; रेलचे के लिए ओवरहैंड इलैक्ट्रिल ट्रांसमिशन ताइन्स में नियुक्त है। उपरोक्त विजनेस गतिविधियों के लिए विभिन्न स्थानों पर सात फैक्टरी लगाई हुई है। इसलिए, अभिरूचि की अभिव्यक्ति (क) सभी विजनेस के लिए; (ख) अन्य विजनेस हिवीजन के साथ एसी/एचवीएसी हिवीजन जलग-अलग या संयुक्त; और (ग) कारपोरेट ऋणी की परिसंपत्तियों की अधिकतम राशियों के लिए एसी.एचवीएसी देवीजन से अन्य दिवीजन याद्रज स्लम्प विक्री या तो अलग-अलग या अन्य दिवीजन के साथ संयुक्त रूप से करने के लिए प्रत्याशित प्रस्ताय पेशेयरों से आमंत्रित की जाती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.rbsa.in के 'सीआइआरपी असाइनमेंट" सैक्शन पर जाएं।

उपलब्ध है

कते फेइडमं इलैक्टिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड हस्ता./-अशोक कुमार गुह्म

बाइएपीएल प्राक्तम, 23, साठच पटेल नगर, नई दिल्ली-

आगाचे जानकारी को प्रस्ताय पेतेचर से निम्नलिक्षित इमेल आइडीज

ip.fedders@rbsa.in @ ashok.gulla@rbsa.in @

1000s 1-10: ip.fedders@rbsa.in

भारतीय र-टेट बेंक प्रथम तल, स्थानीय मुख्यालय, आरएसीपीसी, मोती महल मार्ग, लखनऊ-226 001

कब्जा नोटिस (नियम ८(1) के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति)

यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी **भारतीय स्टेट बँक**, आरएसीपीसी, (विपुल खण्ड-2), लखनऊ **शाखा** द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनः संरचना तथा प्रतिभूति हित का प्रभावीकरण अधिनियम 2002 (अधिनियम नं. 54) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा-13(2) एवं 13(12) सहपठित नियम 9 के अन्तर्गत निम्नलिखित खातेदार को उनके सम्मुख अंकित तिथि को नोटिस जारी कर उनसे 60 दिनों के अन्दर नोटिस में वर्णित राशि अदा करने की मांग की थी। ऋणि / जमानतदारों और जनसाधरण को सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) एवं सहपठित नियम 9 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न वर्णित खातों में बन्धक सम्पत्ति का उनके सम्मुख अंकित तिथि को कब्जा प्राप्त कर लिया है। अतः इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का सौदा / व्यवहार **भारतीय स्टेट बँक**, आरएसीपीसी (विपुल खण्ड-2), लखनऊ शाखा के अतिरिक्त किसी अन्य से न करें। ऐसा कोई भी सौदा∕व्यवहार भारतीय स्टेट बैंक को देय राशि व तत्सम्बन्धित ब्याज, जैसा कि खाते में उल्लिखित किया गया है, के अधीन हो। सम्पतियों का विवरण जिसका कब्जा लिया गया है :

क्र. सं.	ऋण-ग्रहिता का नाम एवं पता/ शाखा/खाता संख्या	अचल सम्पत्ति का विवरण	बकाया धनराशि 13(2) के अनुसार	मांग सूचना / कब्जे की तिश्
1	ऋणीः श्री मोहित याग्निक एवं सम्पत्ति से संबंधित सभी हिस्सा और पार्सल मव		₹ 23,92,200/-	01.02.2018
201 000 0000000 000	श्री रोहित याग्निक, निवासी प्लॉट पर मकान सं0 27 एवं 28 खसरा सं0 573, आदर्श विहार कालोनी, भपटामऊ, लखनऊ। खाता सं.: 61207611751		अन्य खर्चे	24.10.2019
~		-		0 1 4

दिनाक : 27.10.2019, स्थान : लखनऊ

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

कार्यालय वसूली अधिकारी-॥ ऋण वसूली अधिकरण-।।।, दिल्ली बौथी मॅजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल बौक, गई दिल्ली - 110 001

दिनांकित : 21.09.2019 आर. सी. सं. 208/2015 बिक्री की उदघोषणा आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत को बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 की ऋण वसूली के साथ पढ़ा जाये।

भारतीय स्टेट बैंक बनाम श्री अजय नेहरा

सीडी —1 श्री अजय नेहरा, मैसर्स शान फूड्स के एकल प्रोपराईटर, 106—107, अशोक पैलेस, 877, ईस्ट पार्क रोड, नई दिल्ली —110005 और: मकान नं. 181, वी.पी.ओ. गुधा जिला झज्जर (हरियाणा-124103)

सीडी —2 श्रीमती महेन्दर सिंह पुत्र स्वं. श्री दाराओ सिंह निवासी : मकान नं. 181, वी.पी.ओ. गुधा जिला झज्जर (हरियाणा—124103)

जहाँ पर पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-।।। द्वारा ओए सं 203/2012/डीआरटी-।।।/विल्ली विनांकित 26.06.2015 के द्वारा प्रतिवादी से वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार वाद के शुरुआत से रु. 1,26,62,413 /— (रु. एक करोड लाख छब्बीस लाख बासठ हजार चार सौ तेरह मात्र) साथ में ब्याज एवं खर्च लागत प्रामाणपत्र देनदार से वाद दायर की से वसूल किया जाएगा।

और जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रमाणपत्र की संतुष्टी हेतु निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है और जबकि **रु. 1,26,62,413/— (रु. एक करोड लाख छब्बीस लाख बासठ हजार चार सी तेरह मात्र)** साथ में आकरिमक खर्चे और ओ ए की

काईलिंग की तिथि से @12% की दर से साघारण ब्याज, चुकौती की तिथि तक का **भुगतान प्रतिवादी द्वारा संयुक्त रुप/व्यक्तिगत रुप से देय होगा।** एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कोई स्थगन के किसी आदेश के अभाव में उक्त सम्पत्ति को सार्वजनिक नीलामी द्वारा 20.11.2019 **को अर्पा. 03.00 बजे से अर्था. 04.00 बजे** के बीच (स्वत: विस्तार खण्ड के साथ यदि बंद होने से पहले अंतिम 5 मिनट में बोली अपेक्षित होती है) ई—नीलामी तथा बोली प्रक्रिया होगी जो **मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लि., उद्योग विहार, फेज—2, गल्फ पैट्रो कैम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, गुड़गाँव, प्रथम तल, हरियाणा—122015,** फोन : +91-124-4302020/21/22/23/24 मो. +91 9813887931, ई-मेल : support@bankeauctions.com के माध्यम से सार्वजनिक नीलार्म

संपत्ति से संबंधित किसी भी जानकारी और निरीक्षण के मामले में, इच्छुक बोलीदाता डीआरटी—।।।, दिल्ली से संपर्क कर सकता है उपरोक्त नाम के प्रतिवादी की सम्पत्ति की बिक्री उपरोक्तानुसार सम्पत्ति के लिए संलग्न देनदारियों एवं दावें को जैसा अभी तक निधारित किया गया है

प्रत्येक लॉट के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। सम्पत्ति बिक्री के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट लॉट पर की जाएगी, यदि सम्पत्ति के भाग की बिक्री की राशि सम्पूर्ण देय राशि के संतुष्टि लायक होगी ो शेष के संबंध में बिक्री को तुरन्त रोक दी जायेगी। बिक्री तब भी रोक दी जायेगी यदि इससे पहले किसी लॉट की बोली छुट जाती है, कथित प्रमाणपत्र में अंकित बकायों, ब्याज लागत (जिसमें बिक्री की लागत शामिल है) बिक्री संचालित करने वाले अधिकारी को देय दी जाती है 🗸 प्रस्तुत की जाती है या इस आशय का प्रमाण दिया जाता है कि ब्याज वा लागत के साथ ऐसे प्रमाणपत्र की राशि का भुगतान अधोहस्ताक्षरी को कर दिया गया है।

बिक़ी से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति की बिक्री के लिए बोली, अधिग्रहण अधवा प्रयास नहीं करेगा। आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरूप ही बिक्री की जाएगी।

बिक्री उदघोषणा की अनुसूची में उल्लेखित विवरण को अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है, परन्तु अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटि, गलत बयान बाजी अथवा उदघोषणा में चूक होने पर जिम्मेदारी नहीं होगी। सम्पत्ति धरोहर राशि से कम पर नहीं बेची जाएगी

क्र.स.	सम्पात्त का विवरण	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि
1	खेतीहर सम्पत्ति किला नं. 1–3, माहरी गाँव, गुद्धा, जिला झज्ज़र, हरियाणा में स्थित	ক, 46.35 লাজ	रु. 4.64 लाख
	सम्पत्ति का विवरण जमाबंदी के अनुसार कुल भूमि क्षेत्रफल 10K — 0M + 2K - 5M + 5K-14.06M =	17K-19.6M और 2.2	475 एकड़ लगभग

1). 10K-0M — 100/431 Share of Land measuring 10K-0M out of Total land measuring 43K-2M Comprised In Khewat No. 351/298, खतौनी नं. 421, रैक्ट. नं. 12, किला नं. 13/2(3-8), किला नं. 17/2 (5-3), किला नं. 18/1(3-8), किला नं. 18/2(3.8), किला नं. 23(5-9), किला नं. 24/1 (3-8), रैक्ट. नं. 16, किला नं. 3(1-3), किला नं. 4(7-15), किला नं. 5/1(3-81), किला नं. 6/2 (4-6), किला नं. 7/1(2-6), किटा

 2). 2K-5M - 9/10 Share of Land measuring 2K-5M out of total land measuring 2K — 10M Comprised in Knewat No. 349/297 खतीनी नं. 418, रैक्ट. नं. 73, किला नं. 15/11(0.6), रैक्ट. नं. 72, किला नं. 22/1 (2-4), किटा - 23).5K-14.6M-573/730 Share of Land measuring 5K - 14.6M Out of Total land measuring 7K-6M Comprised in Khewat No. 354/300, खतौनी नं. 425, रैक्ट. नं. 72, किला नं. 20(7-6), रैक्ट, नं. 72, Kona No. 22/1 (2.4), किटा-1

बोली; कम से कम रू. 1,00,000/- (रु. एक लाख मात्र) बढ़ाई जा सकेगी। बोली अथवा बोलीदाता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में लॉट की नीलामी दोबारा की जाएगी। यदि उपलब्ध कोई भी बोलीदाता अपनी बोली नहीं बढाता है, तब सर्वप्रथम प्राप्त ईएमडी अधोहस्ताक्षरी द्वारा आगे विचार

किसी लॉट के उच्चतम बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाएगा। उच्चतम बोली को अस्वीकार करना अघोहस्ताक्षरी का विवेकाधिकार होगा, यदि पेश की गई ऑफर उसको स्वीकार किए जाने हेतु स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत होती है।

इच्छुक बोलीदाताओं को धरोहर राशि पे आर्डर / डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो कि "Recovery Officer-II, DRT-III, Delhi के पक्ष में दिल्ली में देययोग्य हो को वसुली अधिकारी - | | डीआरटी- | | | दिल्ली को दिनांक 18.11.2019 तक देनी होगी | घरोहर राशि इसके पश्चात नीलागी के लिए खीकार नहीं की

पैन कार्ड की प्रति, पते का प्रमाण तथा पहचान प्रमाण, ई-मेल आई डी, मोबाईल नम्बर और इस आशय की उदधोषणा कि वे स्वंय की ओर से या अपने स्वामी की और से बोली लगा रहे है, जमा करनी होगी। स्वामी की और से बोली लगाने वाले मामलो में बोली लगाने वाले को अपना प्राधिकार पत्र जमा करना होगा वरना बोली अस्वीकार कर दी जाएगी। कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की कम्पनी प्रति या कम्पनी के अटानीं / प्रतिनिधित्व को पृष्ट करने वाले अन्य कोई आलेख्य तथा ऐसी जमा रशिद / काउन्टर फाईल कथित तिथि तक ई—मेल या अन्यथा द्वारा कथित सेवा प्रदाता या सी एच बैंक तक पहुंच जानी चाहिए और इसकी हार्ड कॉपी (स्थूलप्रति) वसूली अधिकारी—।।, ढीआरटी—।।।, दिल्ली के कार्यालय में जमा कराना

6. असफल बोलीदाताओं को उनकी धरोहर राशि डी आर टी - 111, दिल्ली से उपयुक्त आवेदन के पश्चात ई-नीलामी की तिथि के अगले दिन

7. सफल बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली का 25 प्रतिशत राशि, ईएमडी समायोजन के बाद, अगले बैंक कार्य दिवस को अर्थात अप. 03.00 बजे

तक ऊपर पैरा 4 में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी।

 क्रेता को अंतिम बोली की 75 प्रतिशत राशि सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15 वें दिन को अथवा पूर्व जमा करनी होगी। यदि 15वां दिन रविवार या अवकाश है, तब 15वें दिन के बाद पहले बैंक कार्य दिवस को ऊपर पैरा 4 में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त क्रेता को रू. 1,000/- तक बिक्री मूल्य के 2 प्रतिशत की दर पर तथा रू. 1,000 / – से अधिक पर बिक्री मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर पाउण्डेज फीस रजिस्ट्रार, डीआरटी–।।।, दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा वसूली अधिकारी—।।, डीआरटी—।।।, दिल्ली के पास जमा करना होगा।

9. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की रिथति में, सम्पत्ति की बिक्री नए सिरे से की जाएगी। ऐसी बिक्री से पहले उसकी नई उद्घोषणा जारी की जाएगी। बोलीदाता द्वारा पहले जमा की गई राशि, यदि अधोहरताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, बिक्री के व्यय काटने के बाद, सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता क्रेता के, सम्पत्ति अथवा उसके किसी अंश अथवा सम्पत्ति की पुनरबिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के किसी अंश के संबंध में, सभी दावे

सम्पत्ति की बिक्री "जैसा है जहां है तथा जो है जैसा है आधार" पर की जा रही है।

11. अधोहरताक्षरी के पास, किसी भी या सभी बोलियों को, अनुपयुक्त पाए जाने पर, स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा किसी भी समय, बिना कोई कारण

बताए, नीलामी प्रास्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

क्र. सं	अन्य सह मालिकों के नाम के सहित, बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण, जहाँ सम्बन्धित सम्पत्ति डिफाल्टर या जो किसी अन्य व्यक्ति के सह–स्वामित्व में है।	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के सम्बंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियां जोकि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है।		
1	खेतीहर सम्पत्ति किला नं. 1—3, माहरी गाँव, गुद्धा, जिला झज्ज़र, हरियाणा में स्थित		ज्ञात नही	ज्ञात नही		
	सम्पत्ति का विवरण जमाबंदी के अनुसार कुल भूमि क्षेत्रफल 10K — 0M + 2K - 5M + 5K-14.06M = 17K-19.6M और 2.2475 एकड़ लगभग					

 1). 10K-0M — 100/431 Share of Land measuring 10K-0M out of Total land measuring 43K-2M Comprised In Knewat No. 351/298, खतौनी नं. 421, रैक्ट. नं. 12, किला नं. 13/2(3-8), किला नं. 17/2 (5-3), किला नं. 18/1(3-8), किला नं. 18/2(3.8), किला नं. 23(5-9), किला नं. 24/1 (3-8), रैक्ट. नं. 16, किला नं. 3(1-3), किला नं. 4(7-15), किला नं. 5/1(3-81), किला नं. 6/2 (4-6), किला नं. 7/1(2-6), किटा - 11. 2). 2K-5M - 9/10 Share of Land measuring 2K-5M out of total land measuring 2K — 10M Comprised in Khewat No. 349/297, खतौनी नं. 418, रैक्ट. नं. 73, किला नं. 15/11(0.6), रैक्ट. नं. 72, किला नं. 22/1 (2-4), किटा - 23).5K-14.6M-573/730 Share of Land measuring 5K - 14.6M Out of Total land measuring 7K-6M Comprised in Khewat No. 354/300, खतौनी नं. 425, ऐक्ट. नं. 72, किला नं. 20(7-6), रैक्ट, नं. 72, Kona No. 22/1 (2.4), किटा-1

मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर के साथ आज दिनांक 21 सितम्बर, 2019 को दिया गया। (विकास जेटली) वसूली अधिकारी-।।, ऋणवसूली अधिकरण-।।।, दिल्ली

है। केंद्रीय अनुबंध के उल्लंघन के बंगाली दैनिक 'कालेर कांठो' से कहा कि वह ऐसा करार नहीं कर सकते जो हमारे अनुबंध में स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि रोबी (टेलीकॉम) हमारा टाइटल प्रायोजक था और ग्रामिणफोन ने बोली नहीं लगाई और इसके बजाय उसने कुछ क्रिकेटरों को पैसे देकर करार कर लिया।

कर सकता है बीसीबी

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) मनोबल को प्रभावित कर सकता है। 'क्रिकबज' की एक रिपोर्ट के अनुसार साकिब ने दूरसंचार कंपनी 'ग्रामिणफोन' के साथ एक

ढाका, 26 अक्तूबर (भाषा)

'क्रिकबज' की रिपोर्ट के

कारण बोर्ड उन पर कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। बांग्लादेश की टीम अगले कुछ दिनों में भारत शृंखला के लिए रवाना होगी। का यह कदम निश्चित रूप से टीम के

बांग्लादेश के घरेलू क्रिकेटरों को भले ही

खिलाड़ियों के विरोध से फायदा मिल रहा हो लेकिन

उनके राष्ट्रीय कप्तान साकिब अल हसन को एक

दूरसंचार कंपनी से करार भारी पड़ सकता

करार पर हस्ताक्षर किए हैं जो केंद्रीय अनुबंध नियम का उल्लंघन है।

अनुसार, 'बीसीबी अध्यक्ष

सीए ने भी आइसीसी के एफटीपी कैलेंडर पर चिंता जताई

मेलबर्न, 26 अक्तूबर (भाषा)।

क्रिकेट आस्ट्रेलिया (सीए) ने आइसीसी के भविष्य दौरा कार्यक्रम (एफटीपी) को लेकर बीसीसीआइ की चिंताओं पर सहमति जताते हुए कहा है कि इससे द्वपक्षीय मुकाबले प्रभावित हो सकते हैं। इस भविष्य दौरा कार्यक्रम (2023–2031) में हर साल आइसीसी का एक टूर्नामेंट प्रस्तावित है लेकिन सीए द्विपक्षीय टैस्ट शृंखलाओं पर समझौता नहीं करना चाहता है।

इस महीने दुबई में हुई आइसीसी की बैठक में यह कहा गया था कि कार्यकारी परिषद के सदस्य सैद्धांतिक रूप से मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मनु साहनी के उस विचार से सहमत हैं जो आठ साल के के सीईओ राहुल जौहरी ने आइसीसी के इस फैसले पर 🛮 बीच सामांजस्य बिठाना होगा।

चिंता जताते हुए कहा था कि भारतीय बोर्ड इससे सहमत नहीं है। सीए के मुख्य कार्यकारी केविन रोबर्ट्स ने भी माना कि आइसीसी की इस योजना का बीसीसीआइ समर्थन नहीं करेगा। रोबर्ट्स ने एसईएन रेडियो से कहा कि आइसीसी के टूर्नामेंटों का कार्यक्रम ऐसा है जिस पर अभी और आने वाले महीने में निश्चित तौर पर चर्चा होगी। अगले आठ साल के कार्यक्रम में चार टी-20 विश्व कप के अलावा दो एक दिवसीय विश्व कप का आयोजन शामिल है और रोबट्र्स का मानना है कि अगर इस में चैंपियंस ट्रॉफी की तरह का टूर्नामेंट जोड़ा जाता है तो इसका असर आइसीसी टैस्ट चैंपियनशिप पर पड़ेगा।

रोबर्ट्स ने कहा कि हमें विश्व कप के साथ दो विश्व लिए प्रसारण अधिकार बेचने के बारे में है। बीसीसीआइ कप के बीच खेले जाने वाले अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के

जु यिंग से हारकर सिंधू फ्रेंच ओपन से बाहर

पेरिस, 26 अक्तूबर (भाषा)।

मौजूदा विश्व चैंपियन और शीर्ष भारतीय बैडमिंटन

खिलाड़ी पीवी सिंधू फ्रेंच ओपन के तीन गेम तक चले क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीय ताई जु यिंग से हारकर बाहर हो गईं। पांचवीं वरीय भारतीय को शुक्रवार रात दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी से एक घंटा 15 मिनट तक चले मुकाबले में 16-21, 26-24, 17-21 से हार का मुंह देखना पड़ा। यह दसवीं दफा है जब सिंधू को चीनी ताइपे

की जु यिंग से पराजय मिली हो जिनका इस भारतीय के खिलाफ जीत का रेकार्ड 10-5 है। सिंधू ने अंतिम बार अगस्त में विश्व चैंपियनशिप खिताब हासिल करने के लिए एशियाई खेलों की स्वर्ण पदकधारी को हराया था। 24 साल की भारतीय ने 2016 ओलंपिक के दौरान भी जु यिंग को मात दी थी और पिछले साल विश्व दूर फाइनल्स में महिलाओं

की नंबर एक एकल खिलाड़ी को मात दी थी। दुनिया की छठे नंबर की खिलाड़ी सिंधू की बासेल में विश्व चैंपियनशिप खिताबी जीत के बाद यह टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में लगातार

चौथी हार है। शुक्रवार को साइना नेहवाल भी बाहर हो गई थीं। हालांकि सत्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी ने

सेमी फाइनल में पहुंचकर चुनौती बरकरार रखी। भारत की इस 11वें नंबर की जोड़ी का सामना जापान के हिरोयुकी एंडो और युता वाटान्बे की पांचवीं वरीय जोड़ी से होगा।

दिनोक 27.10.2019 स्थानः नई दिल्ली प्रस्ताव पेशेवर

्राजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 343, *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए। दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120)

2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज*,** *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमित लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।